सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना/संचालन हेतु संशोधित विभागीय प्रक्रिया/दिशा–निर्देश/नीति –2025

पशुपालन विभाग, राजस्थान

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना/संचालन हेतु संशोधित विभागीय प्रक्रिया/दिशा–निर्देश/नीति -- 2025

राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में अधिकांश खेती वर्षा आधारित होने से वर्षा के अभाव में अनेकों बार कृषि उत्पादन निष्फल होने के कारण राज्य मे अकाल, अभाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुधन ही राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर विपरीत परिस्थितियों से लड़ते आ रहे हैं। किसान का पशुधन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक है। राज्य में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत, मांस का 30 प्रतिशत एवं ऊन का 35 प्रतिशत उत्पादन होता है एवं प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी एवं पशुपालन की लगभग 11 प्रतिशत भागीदारी है। पशु गणना वर्ष 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568 लाख पशुधन एवं 146.22 लाख कुक्कुट सम्पदा है। प्रदेश की इस विशाल एवं बहुमूल्य पशु सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने, उनके विकास एवं पशुधन उत्पादन की अभिवृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाना आवश्यक है।

दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन हेतु नवीन संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से संचालित डिप्लोमा संस्थानों में निर्धारित समय एवं मापदण्डपूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता का आंकलन कर सीट अभिवृद्धि भी की जा सकेगी।

नवीन संस्थानों हेतु आवेदन विज्ञप्ति आमंत्रित किये जाने तथा पात्र आवेदनों के संबंध में निर्णय लिये जाने की समस्त शक्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी तथा इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना हेतु आवेदक संस्था की योग्यताः–

- आवेदन किसी समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/निजी विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया जा सकेगा, जिसका पंजीयन ''राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958'' अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959'' अथवा ''भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882'' अथवा ''दी कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी'' अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के गठन संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत होना अनिवार्य होगा।
- संस्था का 3 वर्ष से पूर्व प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है। संस्था के पंजीकृत विधान में प्रशिक्षण/शिक्षा का समावेश/उल्लेख होना अनिवार्य है। यह समावेश संस्था के विधान में न्यूनतम 03 वर्ष से पूर्व का होना आवश्यक है तथापि निजी विश्वविद्यालयों हेतु यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा।
- आवेदक समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/निजी विश्वविद्यालय के पास स्वयं के नाम से पंजीकृत भूमि अथवा संस्था के नाम से 30 वर्ष की लीज (विधिवत पंजीकृत) पर न्यूनतम 01 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/शिथिलीकरण मान्य नहीं होगा।
- राजकीय विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु नीति के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक निरीक्षण करवाया जाकर राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- निजी विश्वविद्यालयों को इस नीति के प्रावधानों के तहत् डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- राजकीय/निजी विश्वविद्यालय राज्य सरकार एवं राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा इस पाठ्यक्रम के संबंध में समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले समस्त दिशानिर्देशों/प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

आवेदन की प्रक्रियाः–

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन होगी तथा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/निजी विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा।

नीति के प्रभावी होने के साथ ही विभाग में लम्बित समस्त आवेदकों को नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः आवेदन करना होगा तथा पुराने आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। आवेदन के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

आवेदन शुल्क :–

- पंजीकरण शुल्क राशि रूपये 5.00 लाख **(नॉन रिफन्डेबल)**
- संस्थाओं को पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5.00 लाख नॉन रिफन्डेबल आनॅलाइन आवेदन के साथ विभाग के द्वारा निर्धारित बजट मद में ई–ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट/चैक/ऑफलाईन भुगतान मान्य नहीं होगा।
- अमानत राशि रूपये 20.00 लाख **(रिफन्डेबल)**।
- संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अमानत राशि रू. 20.00 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जावेगी। आवेदन के नियमानुसार परीक्षणोपरांत पात्र संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात् भौतिक निरीक्षण से पूर्व संस्था द्वारा उक्त बैंक गारंटी को निरस्त कराते हुए विभाग द्वारा निर्धारित बजट मद में ई–ग्रास के माध्यम से अमानत राशि रूपये 20.00 लाख ऑनलाईन जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट/चैक/ऑफलाईन भुगतान मान्य नहीं होगा। इस राशि पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। यदि संस्था द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन स्वेच्छा से भविष्य में बंद किया जाता है तो उसके आवेदन पर अमानत राशि लौटाई जा सकेगी।
- निरीक्षण शुल्क राशि रूपये 1.00 लाख **(नॉन रिफन्डेबल)** संस्थान द्वारा ऑनलाईन माध्यम से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर के खाते में जमा कराया जावेगा। इस राशि का

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

उपयोग नियमानुसार पात्र संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी किये जाने के पश्चात् संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण के लिये वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी तथा निरीक्षण दल की आवश्यकतानुसार संसाधनों हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाः–

- संस्था द्वारा आवेदन करते समय सुनिश्चित कर लिया जावे कि संस्था द्वारा इस नीति अनुरूप पूर्ण आवेदन किया गया है। आवेदन में अपूर्ण/अपठनीय/अस्पष्ट दस्तावेज अथवा सूचना पाये जाने पर अपात्र होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।
- आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र मय संलग्नकों की राज्य सरकार द्वारा गठित संवीक्षा समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा की जावेगी। समिति पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर व्यावहारिक एवं आवश्यकता अनुरूप पाये जाने पर विस्तृत समीक्षा एवं अनुशंसात्मक टिप्पणी/अभिमत अंकित करते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- पात्र आवेदनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु चयन संबंधी निर्णय लिया जावेगा तथा पात्र संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की जावेगी।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी किये जाने की तिथि के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में संबंधित संस्थान को नीति अनुसार भूमि, भवन, संस्थापन, उपकरण, पशुफार्म एवं पशु चिकित्सालय इत्यादि समस्त संसाधनों का मापदण्डों अनुरूप संधारण कर संस्थान के भौतिक निरीक्षण हेतु विभाग में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दी गई सैद्धांतिक सहमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

- उक्तानुसार चयनित संस्था द्वारा विभाग को भौतिक निरीक्षण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण दल का गठन किया जायेगा जिसमें आवेदक संस्था द्वारा जिस संभाग/जिले/तहसील में नवीन संस्थान की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुरूप निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

    (1) संबंधित संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।

    (2) संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।

    (3) राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।

    (4) संबंधित तहसील के उपखंड अधिकारी/तहसीलदार अथवा उनका मनोनीत प्रतिनिधि।

    (5) संबंधित संभाग में अतिरिक्त निदेशक/जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान के कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी।

- संस्थान द्वारा भूमि, भवन समस्त संसाधन जुटाने के पश्चात् इसकी विडियोग्राफी करवानी होगी तथा निरीक्षण से पूर्व विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की समिति के समक्ष समस्त दस्तावेज मय विडियो सीडी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की समिति द्वारा उक्त साक्ष्य संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् ही संबंधित संस्थान के निरीक्षण बाबत् निर्णय लिया जावेगा।

- निरीक्षण दल द्वारा भूमि, भवन, संस्थापन, उपकरण, पशुफार्म एवं पशुचिकित्सालय इत्यादि समस्त संसाधनों का मापदण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

- गठित निरीक्षण दल अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

- राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों की समीक्षा कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्णय लिये जावेगें।

- निरीक्षण दल के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान त्रृटिपूर्ण/गलत सूचना पाये जाने पर संस्था का आवेदन निरस्त माना जावेगा।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्था को 50 सीट हेतु ही प्रदान किया जावेगा।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि में संस्था को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजूवास) अथवा प्रदेश में संचालित अन्य राजकीय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सम्बद्धता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा । निजी विश्वविद्यालयों को राजकीय विश्वविद्यालयों से संबद्धता की आवश्यकता नहीं होगी।
- पशुपालन डिप्लोमा संस्थान द्वारा पशुपालन विभाग, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/दिशानिर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों की पालना करनी होगी।
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजूवास) द्वारा ही डिप्लोमा संस्थान को पाठ्यक्रम संचालन हेतु काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी आवंटित किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों (सरकारी/निजी) को नियमानुसार सीटों पर छात्रों का आवंटन भी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजूवास) द्वारा ही काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा। राजकीय विश्वविद्यालयों की सीटों में प्रबन्धन कोटे का प्रावधान नहीं होगा परन्तु निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के द्वारा आवंटित कुल सीटों की 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटे से भरी जा सकेंगी।
- प्रतिवर्ष छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया यथासंभव 30 सितंबर तक पूर्ण कर ली जावेगी जिससे समस्त संस्थानों में पाठ्यक्रम समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
- स्टेट कोटे की सीटों पर छात्रों का प्रवेश पूर्णतया मैरिट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार आयोजित 2 स्टेज काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से होगाः–

(क) प्रथम स्टेज में मल्टीपल राउंड्स की ऑनलाईन काउंसलिंग आयोजित की जावेगी।

(ख) शेष रही सीटों हेतु द्वितीय चरण में एक राउंड में विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाईन काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों का आवंटन किया जावेगा। ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु आवेदन करने वाले छात्रों में से प्रवेश में वंचित रहे छात्र ही ऑफलाईन काउंसलिंग में भाग ले पायेंगे एवं अन्य कोई छात्र इस हेतु पात्र नहीं होगा।

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

- प्रबंधन कोटे की सीटों की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की प्रबंधन समिति द्वारा संपादित की जावेगी, जिसकी सूचना राज्य सरकार, निदेशक पशुपालन विभाग एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करनी होगी। रिक्त रही सीटों पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रवेश स्वयं संस्थान द्वारा नही लिया जा सकेगा।
- पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात राज्य सरकार अथवा संबंधित विश्वविद्यालय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण समय–समय पर कर सकेंगे। राज्य सरकार को संस्था में अनियमितता पाए जाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त और उनके दिशा–निर्देशों का उल्लंघन अथवा आपराधिक कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने की स्थिति में संस्था को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निलम्बित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा।
- संस्था द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व ही यह स्पष्ट करना संस्था की जिम्मेदारी होगी कि उक्त प्रशिक्षण के आधार पर राज्य सरकार नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

सीट अभिवृद्धिः–

डिप्लोमा संस्थान द्वारा वर्तमान नीति के प्रावधानों की पालना किये जाने की स्थिति में ही विद्यार्थी सीटों में अभिवृद्धि अनुमत होगी। इस हेतु संस्था को राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित कर आवेदन आमंत्रित किये जाने पर राशि रू. 2.00 लाख ई–ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाते हुए सीट अभिवृद्धि हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए नीति के प्रावधानों अनुसार डॉक्यूमेन्ट/आवेदनों की स्क्रूटनी तथा राज्य सरकार के स्तर से गठित कमेटी से भौतिक निरीक्षण के पश्चात् पात्र संस्थानों को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत योग्य पाये जाने पर सीटों में अभिवृद्धि राज्य सरकार की अनुमति से की जा सकेगी। निरीक्षण कमेटी में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का भी एक सदस्य सम्मिलित किया जायेगा। अधिकतम 50 अतिरिक्त सीटों

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

की ही अभिवृद्धि अनुमत होगी तथा प्रदेश में संचालित किसी भी संस्था में कुल 100 से अधिक सीटों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करनाः–

संस्था को दो वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण संचालन हेतु जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित होंगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से पूर्व संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा–

1. यदि प्रबन्ध मण्डल ने विभाग को सूचित किये बिना :–

   1.1 शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया हो।

   1.2 शैक्षिक संस्था के किसी भवन या स्थान के स्वामित्व का अन्तरण कर दिया हो।।

   1.3 संस्था का प्रबन्धन अन्य प्रबन्ध समिति/संस्था को अन्तरित कर दिया गया हो।

2. यदि संस्था प्रबन्धन अपने कार्मिकों को बैंक खाते में प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख से पूर्व वेतन और भत्ते की नियमित संदाय करने में विफल रहा हो।
3. यदि डिप्लोमा प्रशिक्षण विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश इस नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया हो।

किसी संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने पर ऐसे संस्थान के छात्रों को अन्यत्र संचालित राजकीय क्षेत्र के संस्थान में शिफ्ट करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से लिया जा सकेगा।

वेबसाईट निर्माणः–

प्रत्येक संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्वयं की वेबसाइट निर्मित कराई जावेगी एवं उसके URL Name को राज्य सरकार को एक माह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस वेबसाइट में निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक रूप से उल्लेखित करने होंगे–

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

i) संस्था की आधारभूत संरचना से संबंधित दस्तावेज (संस्था का पंजीयन, विधान, प्रबन्ध समिति इत्यादि)

ii) भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, माप एवं चित्र।

iii) संस्था में वर्षवार एवं कक्षावार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या।

iv) डिप्लोमा प्रशिक्षण संकाय में कक्षावार विद्यार्थियों का फीस चार्ट।

v) राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता की नवीनतम सत्र की प्रमाणित प्रति।

vi) समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम, फोटो, योग्यता, विषय सहित)

vii) गत सत्रों का कक्षावार परीक्षा परिणाम।

viii) प्रत्येक डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्था द्वारा वेबसाईट को प्रत्येक 15 दिन में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

ix) पशुधन सहायक डिप्लोमा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से सुनिशिचित की जावेगी। साथ ही संस्था में विद्यार्थियों की निगरानी हेतु प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जावेगी। जिसके माध्यम से संस्थान का वीडियोग्राफिक निरीक्षण पशुपालन विभाग/संबद्धता प्रदान करने वाली यूनिवर्सिटी द्वारा समय–समय पर किया जावेगा।

पाठ्यक्रम

- राज्य सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से समिति का गठन कर तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रति 4 वर्ष पश्चात् पाठ्यक्रम की समीक्षा कर अद्यतन किया जायेगा।
- विद्यार्थियों को पशुपालन डिप्लोमा कोर्स वर्क के 2 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय/प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा जिसके प्राप्तांक अंकतालिका में जोडे जायेंगे। इस

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

संदर्भ में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन किया जावेगा।

- राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिन डिप्लोमा संस्थानों का संचालन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन स्वयं के स्तर से कर सकेगें तथा प्रमाण पत्र भी स्वयं के स्तर से जारी किया जा सकेगा। जिसका समस्त रिकार्ड प्रतिवर्ष राज्य सरकार, निदेशक, पशुपालन विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्थानों का प्रतिवर्ष निरीक्षण करवाया जाएगा।

पूर्व से संचालित संस्थाओं हेतु इस नीति के शैक्षणिक सत्र संचालन, पाठ्यक्रम निर्धारण, छात्रों की उपस्थिति तथा कांउसलिंग प्रक्रिया से संबंधित समस्त प्रावधान प्रभावी होगें। इन संस्थानों को पुनः नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पूर्व में संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा यदि सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें भी इस नीति के प्रावधानों एवं मानदंडों अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें नीति के अनुसार निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा सीट अभिवृद्धि स्वीकृति जारी की जावेगी। इस नीति के प्रावधानों अनुसार पूर्व से संचालित संस्थाओं के संचालन के लिये राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन उपरांत पृथक से दिशा–निर्देश प्रसारित किये जावेंगे जिनकी पालना समस्त संचालित संस्थानों द्वारा की जानी अनिवार्य होगी।

निरीक्षण हेतु मापदण्ड

- **निरीक्षण हेतु विभाग को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान के पास निम्न सुविधाएं/संसाधन होना अनिवार्य है:–**

1. आवेदक समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/निजी विश्वविद्यालय के पास स्वयं के नाम से पंजीकृत भूमि अथवा संस्था के नाम से 30 वर्ष की लीज (विधिवत पंजीकृत) पर न्यूनतम 01 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/शिथिलीकरण मान्य नहीं होगा।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

2. संस्थान का प्रशासनिक व प्रशिक्षण भवन तथा पशु चिकित्सालय (न्यूनतम 1200 वर्ग मीटर आवश्यक) सड़क एवं सुगम आवागमन की सुविधा युक्त स्थान पर संचालित किया जाना आवश्यक है तथा एक से अधिक स्थान पर (अधिकतम दो स्थान पर अनुमत) संचालित किये जाने की स्थिति में दोनों स्थानों के मध्य दूरी 20 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोनों स्थान एक ही जिले में अवस्थित होना तथा भूमि/भवन का संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन अनिवार्य होगा।

3. **संस्थान भवनः–**

क्र.सं.	भवन	क्षेत्रफल	संख्या (50 छात्रों हेतु)	संख्या (100 छात्रों हेतु)
1.	व्याख्यान/परीक्षा कक्ष	न्यूनतम 800 वर्ग फुट	2	4
2.	प्रयोगशाला	न्यूनतम 800 वर्ग फुट	2	2
3.	पुस्तकालय	न्यूनतम 800 वर्ग फुट	1	2
4.	प्राचार्य कक्ष	न्यूनतम 200 वर्ग फुट	1	1
5.	स्टॉफ कक्ष	न्यूनतम 300 वर्ग फुट	1	1
6.	सहायक कर्मचारी कक्ष /सह भण्डार कक्ष	न्यूनतम 12 X12 फीट	1	1
7.	कम्प्यूटर कक्ष	न्यूनतम 400 वर्ग फुट	1	1
8.	प्रसाधन कक्ष	छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक–पृथक	2	2
9.	पशुचिकित्सालय (डिप्लोमा संस्था द्वारा संचालित)	चिकित्सक कक्ष (न्यूनतम 10X12 फीट)	1	1
		स्टॉफ रूम (न्यूनतम 12 X12 फीट)	1	1
		लैब (न्यूनतम 10 X12 फीट)	1	1
		एल एन 2/उपकरण कक्ष (न्यूनतम 10 X12 फीट)	1	1
		स्टोर (न्यूनतम 10 X12 फीट)	1	1
		प्रसाधन	1	1

- उपरोक्त समस्त सुविधा युक्त संस्थान भवन, चिकित्सालय, शौचालय, पुस्तकालय एक ही परिसर में संस्थान की भूमि पर स्थित होना आवश्यक है।
- संस्थान उपयुक्त स्थान पर सड़क एंव सुगम आवागमन की सुविधा से जुडा होना आवश्यक है। जिसमें समुचित पानी, बिजली, शौचालय (छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक–पृथक) की सुविधा एवं छात्रों के खेलकूद के लिए पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

❖ व्याख्यान/परीक्षा कक्ष में पर्याप्त रोशनी व हवादार हो तथा छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी एवं टेबिल की व्यवस्था हो।

4. संस्था की सुदृढ़ वित्तीय तरलता के साक्ष्य स्वरूप संस्था के पास न्यूनतम कार्यशील पूंजी हेतु 6 माह पूर्व की राशि रू. सात लाख की एफडीआर अथवा संबंधित संस्था के बैंक स्टेटमेन्ट में विगत 6 माह (प्रतिमाह खाते में औसतन 7 लाख रूपये होना आवश्यक है) की सत्यापित प्रति के साथ नवीनतम फंड स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. **भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र** :– भवन की सुरक्षा का प्रमाण पत्र संस्था के क्षेत्राधिकार अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)/पंचायत समिति/नगर निकाय में कार्यरत सक्षम अभियन्ता (न्यूनतम सहायक अभियन्ता) से लिया जाना आवश्यक है।

6. **अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र**–संस्था के भवन का स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित कार्यालयों (यथा नगर पालिका, नगर विकास न्यास, नगर निगम आदि) के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा तथा समय–समय पर इसका नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. **संस्थापन व्यवस्थाः–**

क्र.स.	पद तथा योग्यता	संख्या (50 छात्रों हेतु)	संख्या (100 छात्रों हेतु)
1	प्रिंसिपल – एम.वी.एस.सी. तथा पाच वर्षो का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव अथवा बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच. तथा 20 वर्षो का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव	1	1
2	ट्रेनिंग ऑफिसर – बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच.	2	4
3	वेटेरनरी ऑफीसर/फार्म इचार्ज–बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच.	2	4
4	फार्म सुपरवाइजर (AHDP)	1	1
5	लेबोरेट्री असिस्टेंट (AHDP)	1	2
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर Diploma or Certificate in Computer Application.	1	1
7	लिपिक (10+2 उतीर्ण)	1	2
8	अटेन्डेन्ट/स्वीपर	3	5
9	बस ड्राइवर (आवश्यकतानुसार)	1	1

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

❖ कम्प्यूटर कक्ष में न्यूनतम 10 कम्प्यूटर होने आवश्यक हैं, जिनमें इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा हो।

❖ समस्त स्टॉफ को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वेतन व भत्ते दिया जाना आवश्यक होगा।

❖ स्टॉफ के वेतन व भत्ते का भुगतान प्रति माह नियत तिथि तक उनके बैंक खाते में जमा कराना होगा।

❖ समस्त स्टॉफ की कर्मचारी भविष्य निधि (PF), कर्मचारी बीमा आदि की नियमानुसार सभी आवश्यक कटौतियां की जानी आवश्यक होगी।

8. पुस्तकालय सामग्रीः-

क्र. स.	विवरण	संख्या (50 छात्रों के लिए)	संख्या (100 छात्रों के लिए)
1.	प्रत्येक विषय से संबंधित पुस्तकें, नवीनतम संस्करण न्यूनतम 2 प्रकाशन / लेखक	10	20
2.	प्रत्येक विषय से संबंधित प्रयोगशाला मैनुअल, प्रतियां	10	20
3.	सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व, पर्यावरण एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित साहित्य	50	100
4.	दैनिक समाचार पत्र - किन्ही 2 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)	4 प्रतियां	10 प्रतियां
5.	साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्रिकाएं- किन्ही 2 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)	2 प्रतियां	6 प्रतियां
6.	दृश्य–श्रव्य संसाधन (Audio-Visual Aids) ओवर हैड प्रोजेक्टर / स्लाइड प्रोजेक्टर	1 (न्यूनतम)	2 (न्यूनतम)

नोटः–छात्र व छात्राओं के लिए बुक बैंक सुविधा अनिवार्य हैं।

9. ऐनाटोमी प्रयोगशाला की सामग्री :–

❖ स्केलटन – गाय या भैंस, भेड़ या बकरी, कुत्ता एवं मुर्गा

❖ पशु विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न मॉडल – संख्या 10

❖ शल्यक्रिया संबंधी औजार – **संलग्नक –1 अनुसार**

❖ कॉच के उपकरण, जार, स्लाइड एवं टेस्ट ट्यूब – **संलग्नक –2 अनुसार**

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

10. आवश्यक औषधियां व सामानः-

- ❖ केमिकल्स - संलग्नक –3 अनुसार
- ❖ पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियां - संलग्नक – 4 अनुसार
- ❖ प्रदर्शन चार्ट्स, बीमारी व उपचार चार्ट्स - संलग्नक – 5 अनुसार
- ❖ पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामान - संलग्नक – 6 अनुसार

11. प्रजनन विज्ञान से संबंधित सामानः- संलग्नक –7 अनुसार

12. पशुशाला/पशु फार्म हेतु पशु संख्याः– संस्था के पास ऑर्गेनाईज्ड पशु फार्म होना आवश्यक है जिसमें निम्नानुसार पशु संधारित किया जाना अनिवार्य होगाः–

क्र.स.	विवरण	संख्या (50 छात्रों के लिए)	संख्या (100 छात्रों के लिए)
1.	गाय	न्यूनतम 10	न्यूनतम 20
2.	बकरी	न्यूनतम 1 बकरे एवं 20 बकरियॉ	न्यूनतम 2 बकरे एवं 40 बकरियॉ
3.	मुर्गियां	न्यूनतम 100 लेयर का संचालित फार्म	न्यूनतम 200 लेयर का संचालित फार्म
4.	शूकर	1 नर +5 मादा	2 नर +10 मादा

निरीक्षण के समय उपरोक्त समस्त सुविधायें/संसाधन (क्र.सं. 1 से 12) संस्था के पास अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/शिथिलीकरण मान्य नही होगा।)

क्र.सं. 9 से 12 तक अंकित सामग्री/सुविधाओं/संसाधनों की राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार समीक्षा कर राज्य सरकार की पूर्वानुमति एवं सक्षम अनुमोदन उपरांत संशोधन किया जा सकेगा।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

शल्य क्रिया से सम्बन्धित औजार :— संलग्नक —1

क्र.स.	औजार का विवरण	संख्या
1.	बरडीजो (Burdizo)	2
2.	पिन्स फोरसेप (Pins Forcep)	2
3.	कोचर फोरसेप (Kocher Forcep)	2
4.	मोस्कीटो फोरसेप (Mosquito forcep)	2
5.	मेयो सिजर (Mayo Scissor)	2
6.	ट्रोमेटिक निडल स्ट्रेट (Straight Traumatic Needles)	6
7.	ट्रोमेटिक निडल कर्वड (Curved Traumatic Needles)	6
8.	एट्रोमेटिक निडल स्ट्रेट (Straight Atraumatic Needles)	6
9.	एट्रोमेटिक निडल कर्वड (Curved Atraumatic Needles)	6
10.	बी.पी. हेन्डल न. 3 (B.P. Handle No. 3)	2
11.	बी.पी. हेन्डल न. 4 (B.P. Handle No. 4)	2
12.	बी.पी. हेन्डल ब्लैड न. 10—15 (B.P. Handle Blade No. 10-15)	6
13.	बी.पी. हेन्डल ब्लैड न. 20—25 (B.P. Handle Blade No. 20-25)	6
14.	कोटन थ्रेड सूचर मटेरियल (Cotton thread Suture Material)	2 पैकेट
15.	सिल्क सूचर मटेरियल (Silk Suture Material)	2 पैकेट
16.	स्टेनलेस स्टील सूचर मटेरियल (Stainless Steel Suture Material)	2 पैकेट
17.	प्लेन केटगट सूचर मटेरियल (Plain Catgut Suture Material)	2 पैकेट
18.	क्रोमिक केटगट सूचर मटेरियल (Chromic Catgut Suture Material)	2 पैकेट
19.	स्टोमक ट्यूब फोर शीप एण्ड गोट (Stomach Tube for Sheep and Goat)	2
20.	प्रोबेंग (Probang)	2
21.	घोडे के गिराने के लिए होबल (Hobbles)	4
22.	रूमेनोटोमी सेट (Rumenotomy Set)	1
23.	चिसल और हेमर (Chisel and Hammer)	2
24.	स्टील की आरी (Stainless Steel Saw)	2
25.	क्यूरेट्र (Curater)	2
26.	सीटन निडल (Seton Needle)	2
27.	चीटल फोरसेप (Chital Forcep)	2
28.	इरीगेटर (Irrigator)	2
29.	टीट ट्यूमर एक्सट्रेक्टर (Teat Tumour Extrector)	2

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

30.	टीट बिस्ट्यूरी (Teat Bistoury)	2
31.	टीट साइफ़न्स (Teat siphons)	2
32.	हूफ पिन्सर (Hoof Pincer)	2
33.	हूफ टेस्टर (Hoof Tester)	2
34.	हूफ रास्प (Hoof Rasp)	2
35.	निडल होल्डर (Needle Holder)	2
36.	थम्स फोरसेप (Thumbs Forcep)	2
37.	प्लास्टर सा (Plaster Saw)	2
38.	प्लास्टर स्प्रेडर (Plaster Spreader)	2
39.	डीहॉर्नर (Dehorner)	1

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

ग्लास उपकरण/ सामान :-

संलग्नक -2

क्र.स.	सामान	मात्रा	संख्या
1.	Test Tubes	10 ml.	50
2.	Beaker	500 ml.	2
3.	Glass Slide	--	100
4.	Cover Slips	--	100
5.	Measuring cylinder	500 ml.	2
6.	Flask	500 ml.	2
7.	Test Tube Stand	--	2
8.	Glass Pipette	2ml., 5ml, 10ml	2 each

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

केमिकल्स **(Chemicals)**:– संलग्नक –3

क्र.स.	केमिकल्स का नाम	मात्रा	संख्या
1.	Ammonium Chloride	500 gm	1 pkt.
2.	Kaolin	500 gm	1 pkt.
3.	Pectin	500 gm	1 pkt.
4.	Castor Oil	500 gm	1 Bottle
5.	Plaster of Paris	500 gm	1 pkt.
6.	Wood Charcoal	500 gm	1 pkt.
7.	NaOH	500 gm	1 pkt.
8.	KOH	500 gm	1 pkt.
9.	Sodium Chloride	500 gm	1 pkt.
10.	Sodium Iodide	100 gm	1 pkt.
11.	Potassium Iodide	100 gm	1 pkt.
12.	Magnesium Sulphate	500 gm	1 pkt.
13.	Iodine Crystal	100 gm	1 pkt.
14.	Methyl Alcohol	500 gm	1 Bottle
15.	Copper Sulphate	500 gm	1 pkt.
16.	Magnesium Oxide	500 gm	1 pkt.
17.	Potassium permanganate	500 gm	1 pkt.
18.	Glycerine	500 gm	1 Bottle
19.	Boric Acid	500 gm	1 Bottle
20.	Sodium Bi Carbonate	500 gm	1 pkt.
21.	Sodium Acid Phosphate	500 gm	1 pkt.
22.	Turpentine Oil	500 gm	1 Bottle

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियां:–

संलग्नक –4

1. सभी प्रकार की एन्टीबायोटिक्स की एक – एक वायल
2. सभी प्रकार की एन्टी इन्फलामेटरी दवाओं की एक – एक वायल
3. सभी प्रकार की Steroid की एक – एक वायल
4. सभी प्रकार की एन्टीपायरेटिक की एक – एक वायल
5. सभी प्रकार की Fluid Therapy की एक – एक बोटल
6. सभी तरह की Dewormer की Tablets, Bolus, Injection and Packet
7. सभी हर्बल दवाओं का एक – एक पैकेट
8. सभी Haemostatic दवाओं की एक – एक वायल
9. सभी तरह की Intramammary Preparation की एक – एक Tube
10. Calcium Borogluconate की one Bottle
11. Calcium Magnesium Borogluconateकी one Bottle
12. एन्टीसेप्टिक क्रीम –Betadine, Loraxene etc. की एक – एक Tube
13. सभी तरह की External Parasite की दवाओं की एक – एक वायल

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रदर्शन चार्टः–

संलग्नक –5

1. Cell Structure -कोशिका की संरचना का चार्ट
2. मंसपेशियों का चार्ट
3. Chart of digestive system of Ruminant
4. Chart of Nervous System of Cow –गाय के तंत्रिका तंत्र का चार्ट
5. मुर्गी के स्केलटन का चार्ट
6. मुर्गी के श्वसनतंत्र का चार्ट
7. मुर्गी के पाचन तंत्र का चार्ट
8. Chart of Circulatory System
9. Chart of Urinary System of Animal
10. Chart of Urogenital System of Male animal
11. Chart of uro genital system of female animal
12. Chart of Udder
13. पशुओं की विभिन्न नस्लों का चार्ट
14. वैक्सिनेशन चार्ट – गाय व भैंसो के संक्रामक रोगों का
15. वैक्सिनेशन चार्ट – भेड व बकरी के संक्रामक रोगों का
16. वैक्सिनेशन चार्ट – मुर्गी के संक्रामक रोगों का

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामान :— संलग्नक —6

क्र.स.	सामान का नाम	संख्या
1.	ड्रेचिंग गन (Drenching Gun)	1
2.	वेक्सिनेटर (Vaccinator)	1
3.	स्टर्लाइजर (Sterilzer)	1
4.	माउथ गैग फोर केटल (Mouth gag for Cattle)	2
5.	माउथ गैग फोर होर्स (Mouth gag for Horse)	2
6.	केथेटर (Catheter)	2
7.	स्टोमक ट्यूब फोर केटल (Stomach Tube for Cattle)	1
8.	स्टोमक ट्यूब फोर शीप एण्ड गोट (Stomach Tube for Sheep and Goat)	1
9.	प्रोबेंग फोर केटल (Probang for cattle)	1
10.	सूत की रस्सी (Cotton ropes bundle)	1
11.	प्लास्टिक की रस्सी (Plastic ropes bundle)	1
12.	आई वी सेट (I.V.Set)	2
13.	बटर फ्लाई नीडल (Butter fly Needle)	2
14.	मजल फोर डॉग (Muzzle for dog)	2
15.	इरीगेटर (Irrigator)	1
16.	टीट साइफन्स (Teat siphons)	2
17.	ट्रेविस (Travis)	1
18.	Disposal syringes 5ml, 10ml, 20ml, 50ml	10 प्रत्येक
19.	Needles 14,15,16,18,20,22,24 and 26 No.	20 प्रत्येक
20.	Trocar Cannula	2
21.	Tattooing Set	1
22.	Bull Nose Ring	1

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

पशु प्रजनन विज्ञान से सम्बन्धित सामान :–

संलग्नक –7

क्र.स.	सामान का नाम	संख्या
1.	Uterine Catheters	2
2.	Vaginal Speculum for Large animal	1
3.	Vaginal Speculum for small animals	1
4.	Rectal Palpation Sleeves	1 pkt.
5.	Fenton box	1
6.	Obstetrical instruments	1 Set
7.	All instruments for Phantom	1 Set
8.	A.I. Gun	1
9.	A.I. Box	1
10.	LN2 Jar (Liquid Nitrogen Jar) - 3L, 5L	1 Each
11.	Clinical Thermometer- Glass, Digital	2 Each
12.	Disposable Sleeves	1 pkt.
13.	Sheath	1 pkt.
14.	Cover Slips	2 pkt.
15.	Microscope	5
16.	Autoclave	1
17.	Hot Air Oven	1
18.	Freeze	1
19.	Artificial Vagina	1

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

आवेदन कर्ता संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (चैक लिस्ट) प्रस्तुत किये जायेंगे :–

1. पूर्णतया भरा हुआ निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय आवेदन शुल्क।
2. आवेदक संस्था / सोसायटी / ट्रस्ट / कम्पनी के पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. संस्थान के विधान की सत्यापित प्रति।
4. आवेदक समिति / संस्था / ट्रस्ट / कम्पनी / निजी विश्वविद्यालय के पास स्वयं के नाम से पंजीकृत भूमि अथवा संस्था के नाम से 30 वर्ष की लीज (विधिवत पंजीकृत) पर न्यूनतम 01 हेक्टेयर की भूमि के स्वामित्व संबंधी उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। भूमि एक से अधिक स्थान पर होने पर सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त तहसीलदार / सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जारी दूरी प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा।
5. संस्था की कार्यकारिणी / संचालक मंडल के समस्त सदस्यों के फोटो, धारित पदनाम, पता एवं उनके हस्ताक्षर की सत्यापित प्रति।
6. प्रस्तावित संस्था के लिए चिन्हित भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नक्शा ट्रेश (खसरा प्लान), जीओ टेगिंग अंकित करते हुए संलग्न नक्शा, मौके की स्थिति को दर्शाते हुए फोटोग्राफ्स।
7. संस्था की सुदृढ़ वित्तीय तरलता के साक्ष्य स्वरूप संस्था के पास न्यूनतम कार्यशील पूंजी हेतु 6 माह पूर्व की राशि रू. सात लाख की एफडीआर अथवा संबंधित संस्था के बैंक स्टेटमेन्ट में विगत 6 माह (प्रतिमाह खाते में औसतन 7 लाख रूपये होना आवश्यक है) की सत्यापित प्रति के साथ नवीनतम फंड स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन आमंत्रित किये गये वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
9. आवेदन आमंत्रित किये गये वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती 03 वर्षो के इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

10. संस्था / समिति के आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होने एवं आपराधिक गतिविधि में दोष सिद्ध नहीं रहने तथा संस्था के नाम भूमि / भवन विवादित नही होने सम्बन्धित शपथ पत्र (राशि रुपये 500 / – के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर)।
11. राज्य सरकार के विषय वस्तु से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य में जारी होने वाले सभी नियमों / निर्देशों की अनुपालना करने सम्बन्धित शपथ पत्र (राशि रुपये 500 / – के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर)।
12. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखाः– (प्राथमिक आवेदन के साथ)

ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी जिसमें निम्नलिखित बातों का वर्णन करना आवश्यक हैः–

1. शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन और संचालन में अपने अनुभव के संदर्भ में संस्था / ट्रस्ट / सोसायटी / कम्पनी की पृष्ठभूमि।
2. पशुपालन क्षेत्र में संस्था का अनुभव।
3. संस्था की स्थापना से शैक्षणिक, सामाजिक और धर्मार्थ क्षेत्रों में संस्था की गतिविधियाँ।
4. न्यूनतम 10 वर्ष के समय के दृष्टिकोण के साथ प्रस्तावित संस्था के बारे में विजन।
5. प्रस्तावित संस्थान के लिए भविष्य की विकास योजना, शैक्षणिक ढांचा और अन्य सहायता सुविधाओं के चरण–वार विकास के लिए संभावित विकास योजना।
6. संस्था के पास उपलब्ध संसाधन और इसके उपयोग की अनुसूची।
7. छात्र शुल्क के माध्यम से उत्पन्न धन के अलावा, पूंजी और परिचालन व्यय प्रबन्धन एवं वित्तपोषण के स्रोत।
8. संस्थान के प्लेसमेंट लिंकेज।

सहायक शासन सचिव
पशुपालन विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर